यह निरीक्षण आख्या जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) नैनीताल के माह 11/2012से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) नैनीताल के अवधि की माह 11/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री डी॰के॰मट्टू ,श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20/02/2019 से 23/02/2019 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है |

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र - जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) नैनीताल द्वारा जनपद स्तर पर प्राथमिक,उच्च प्राथमिक विधालयों मे कार्यरत शिक्षकोंके जी॰पी॰एफ॰स्वीकृत करना एवं जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) नैनीताल विकास खंड मे संचालित विद्यालयों का निरीक्षण/ अनुश्रवण करना | वर्तमान मे उप-शिक्षा अधिकारी का कार्यालय भीमताल जनपद नैनीताल मे स्थित हैं।

(i) अ विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(रू में)

वर्ष	**आवंटन**		**व्यय**		**बचत /अभ्यर्पण**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	5575000	319000	5346187	295377	-	252436
2016-17	6514000	577000	6203112	575396	-	312492
2017-18	8432000	433000	8356219	431102	-	77679
2018-19 Exp 01/19तक	9115000	375000	8456031	281771	-	-

जिला योजना के अंतर्गत प्राप्ति धनराशि का विवरण ।

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**प्राप्ति धनराशि**	**व्यय की धनराशि**	**अवशेष धनराशि**
2015-16	-	-	-
2016-17	83.06	83.06	शून्य
2017-18	85.47	85.47	शून्य
2018-19	86.15	86.15	शून्य

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

---------- शून्य ----------

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार /भारत सरकार –राज्य सरकार द्वारा किया जाता हैं। गैर स्थापना ब्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी"सी" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

शिक्षा सचिव
↓
महानिदेशक
↓
निदेशक(प्रारम्भिकशिक्षा)
↓
अपर शिक्षा निदेशक(प्रारम्भिकशिक्षा)
↓
मुख्य शिक्षा अधिकारी
↓
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिकशिक्षा)

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) नैनीताल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014,02/2017,& 01/2019, को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता प्रदान किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या /XXIV-2 **/** 2012-6(3) /2012 दिनांक 09 अक्तूवर 2012**,** के अनुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पुनर्गठित नवीनतम ढांचे के अनुरूप निदेशालय स्तर से विकास खण्ड स्तर तक के विभिन्न अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व विभाजन के अनुसार**,** जिला शिक्षा अधिकारी**,** (प्रा.शि.) के कार्य एवं दायित्व बिन्दु संख्या 6 के अधीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता हेतु संबन्धित विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाना निर्देशित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 की अवधि में संलग्नक सूची में उल्लेखित विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि**,** किराए के विद्यालय भवनों का कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं था तथा विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा-सह–आवेदन पत्र के अनुसार आवश्यक अग्नि से बचाव की व्यवस्था का प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्गत**,** नहीं पाये गए। तदनुसार मान्यता हेतु आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु आख्या प्रेषित की गई। अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु आख्या प्रेषित किए जाने के दौरान**,** अग्नि से बचाव की व्यवस्था की अनदेखी किए जाने से जहां एक ओर विध्यार्थियों की जान जोखिम में डाली गई वहीं दूसरी ओर विद्यालय भवनों का किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं कराये जाने के फलस्वरूप पंजीकरण शुल्क का अदेय लाभ विद्यालय प्रवंधनों को दिये जाने से शासकीय राजस्व की हानि भी हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित की गई स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर ही विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यतायेँ प्रदान की गईं तथा यह भी कि यदि विद्यालयों द्वारा मानकों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । अतः आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता प्रदान किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

वित विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची

1. टोक बड्स स्कूल रामनगर
2. चाइल्ड स्कैर्ड पब्लिक स्कूल रामनगर
3. न्यू. बाल संसार स्कूल तीनेपानी पब्लिक स्कूल तल्ली हल्द्वानी
4. सरस्वती ज्ञान मंदिर प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजीव नगर लालकुआँ
5. समर्थ शिक्षान्तरिक्षा स्कूल पीरुमदारा
6. ग्रीन वुड पब्लिक स्कूल
7. दानू पब्लिक स्कूल
8. स.शि. मंदिर नथुवाखान
9. आदर्श पब्लिक स्कूल बजौनियाहलदू
10. आदर्श शिक्षा मंदिर गिन्ती गाँव
11. शहीद विश्व बन्धु मैमोरियल

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमों तथा दायित्वों का अनुपालन न किया जाना

शिक्षा विभाग के ज्ञाप संख्या xxiv-2/2012-6(3)/2012 दिनांक 09-10-2012 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर निम्न कार्य एवं दायित्व आवंटित किये गये जैसे विकास खण्ड स्तर पर समस्त संकुल केन्द्रों का supervision नियमित करना। विकास खण्ड के अंन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यो की quality report तैयार करना तथा विकास खण्ड में स्थित विद्यालयों के भवनों का सत्यापन एवं भवन निर्माण कार्यो की प्रगति report उच्च अधिकारियों को अवगत करना एवं परियोजनाओं से संबंधित बी० आर० सी० के कार्यो का अनुश्रवण करना।

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा विभाग से पूछा गया कि कृपया अवगत कराये कि वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में कितने संकुल केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया, कितने निर्माण कार्यो की quality report तैयार करायी गयी एवं परियोजनाओं से सम्बन्धित कितने बी०आर०सी० के कार्यों का अनुश्रवण किया गया और यदि विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यो से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट /क्वालिटी रिपोर्ट या कोई अनुश्रवण किया गया हो तो उसकी आख्या प्रस्तुत करें यदि नही तो सत्यापन न किये जाने का कारण स्पष्ट करें।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि संकुल केन्द्रों का कोई भोतिक सत्यापन नही किया गया ना कोई रिपोर्ट अथवा क्वालिटी रिपोर्ट तैयार की गयी । विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि शिक्षा विभाग के ज्ञाप संख्या xxiv-2/2012-6(3)/2012 दिनाक 09-10-2012 में स्पष्ट लिखा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी को सोंपे गये कार्यो का अनुपालन करना तथा उच्चाधिकारियों के notice में लाना अनिवार्य है जिसका विभाग द्वारा कोई अनुपालन नही किया गया। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं			

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |**

क्रम स°	नाम	पदनाम	अवधि
1-	श्री- एल°आर°आर्य	वित्त अधिकारी	12-11-2012से 14-04-2014
2	श्री एल.आर. आर्य	वरि० वित्त अधिकारी	15-4-2014 से 08.09.2014
3-	श्री दीप चंद्र कवडवाल	वित्त अधिकारी	09-09-2014 से 21-04-2015 तक
4-	श्री वी°सी°जोशी°	वित्त अधिकारी	22-04-2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकर(ले°प°) उत्तराखंड महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.